कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल सा0 रीवा (म.प्र.)

जयन्ती कुंज, झिरिया, रीवा

E-Mail- dfot.rwa@mp.gov.in , Phone- 07662- 299135

क्रमांक / मा.चि. / 2404 रीवा, दिनांक 15.05.2025

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कक्ष भू–प्रबंध)
वन भवन तुलसी नगर भोपाल (म.प्र.)

विषयः– वन मण्डल रीवा के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 399 के रकवा 2.21 हेक्टेयर वनभूमि में सेंड पत्थर (क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन के हेतु आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स हुड्डा भिवानी हरियाणा को उपयोग पर देने बावत् ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP / MP / MIN / 152429 / 2022

संदर्भः– 1. आपका पत्र क्रमांक / एफ–1 / 835 / 2022 / 10–11 / 1147 दिनांक 08.04.2025
2. श्री ललित पंघाल प्रोपराइटर स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन हाउस का आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त दिनांक 15.05.2025

––00––

विषयांतर्गत अनुरोध है कि संदर्भित पत्र से प्रकरण के संबंध बिन्दुवार जानकारी चाही गई है, जिसमें आवेदक संस्थान द्वारा उक्त बिन्दुओं की जानकारी तैयार कर इस कार्यालय की ओर प्रेषित किया गया है जो निम्नानुसार है :–

क्र.	चाही गई जानकारी	उत्तर
1	The State Govt. shall clarify whether the Letter of intent (LoI) issued by the Mineral Resource Department, Govt. of Madhya Pradesh is still valid as on date or otherwise.	आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया है कि कलेक्टर खनिज शाखा जिला रीवा/मऊगंज के पत्र क्रमांक / 307 / खनिज / 2024 दिनांक 20.11.2024 से सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसकी अवधि 31.01.2026 तक वैध है। छायाप्रति संलग्न है।
2	Details of mineral evacuation plan and how the requirements of electricity and water will be met shall be submitted. The detail of additional forest land (if any) required for the purpose shall also be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया है कि खनिज निकासी का कार्य यांत्रिकीय विधि से किया जावेगा, खनिज उत्खनन हेतु बिजली की आवश्यकता नगन्य है एवं पानी की पूर्ति हेतु टैंकर के माध्यम से की जावेगी। प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य वनभूमि की आवश्यकता नहीं है।
3	The user agency in Part-I form reported that the Project aoes not requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 (Environmental clearance) whereas the instant project is for mining. A clarification in this regard needs submission.	आवेदक संस्थान द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रदूषण से रोकथमन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के चारो तरफ 7.5 मीटर की चौड़ाई में ग्रीन बेल्ट तैयार किया जावेगा, के.एम.एल. फाइल में उक्त क्षेत्र को दर्शाया गया है, एवं धूल की रोकथाम हेतु समय–समय पर पानी का छिड़काव टंकरों द्वारा किया जावेगा। साथ ही जल की निकासी नहीं की जावेगी, जिस कारण से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
4	The instant mine has been proposed to be worked upon by mechanized mining with implementation of Open-cast technology. Therefore, the status of muck disposal plan shall be submitted along with relevant details.	आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना से निकला हुआ मलबा को निजी भूमि क्रय कर राजस्व क्षेत्र में डम्प किया जावेगा। प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त वनक्षेत्र को प्रभावित नहीं किया जावेगा।
5	Complete copy of an approved mining plan needs submission. The State Govt. shall also ensure that the land-use as proposed in the proposal shall invariably commensurate with the land-use as given in the approved mining plan. A comparative analysis shall be provided in this regard	आवेदक संस्थान द्वारा स्वीकृति खनन योजना की प्रति संलग्न है। प्रस्तावित क्षेत्र में खनन का कार्य माइनिंग प्लान अनुसार किया जावेगा, जिसके लिए आवेदक संस्थान वचनबद्व है।

6	The State Govt. has not informed as to how much area of the proposed NFL (village wise/ patch wise) for raising compensatory afforestation is having specified density as per the Rule-13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023. Moreover, the State shall also ensure that the area (NFL) proposed for CA is suitable for raising Compensatory Afforestation as per the provisions of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 and the crop improvement programme of the forest crop in the NFL proposed for CA shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम –13 के अनुसार ग्राम [illegible] में एक ही पैच में 2.21 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है, जिसका घनत्व 0.2 है एवं प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि एवं डबल डिग्रेटेड वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना भी प्रस्तावित है।
7	Para ., 2, Rule-13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 says that "Provided that in case the non-forest land or portion thereof provided by the user agency is not fit for raising compensatory afforestation of a specified density, then additional compensatory afforestation shall be raised on a degraded notified or unclassed forest land under the management control of the Forest Department which is twice in size of such shortfall in the given compensatory afforestation land and the user agency shall also bear the additional cost on such account". Keeping this in view, the KML file of the Degraded forest land which is twice in size of such shortfall in the compensatory afforestation land needs to be submitted (if applicable) along with Maps, CA scheme, Site suitability certificate etc.	आवेदक संस्थान द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम –13 के पैरा 2 अनुसार प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि की जानकारी के.एम.एल फाइल, जियो रिफरेंश सहित अभिलेख वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सागर द्वारा तैयार कर अपलोड़ कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है, साथ ही वनमण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा दोगुने बिगड़े वन की जानकारी तैयार कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) वन भवन तुलसी नगर भोपाल की ओर प्रेषित की गई है। छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित की जावेगी शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्व है।
8	The number of project affected trees need to be reconfirmed by the State. It may also be clarified whether the tree enumerations have been done as per actual standing trees on ground or through sampling method or by adopting any other method.	वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र मऊगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 399 में प्रस्तावित क्षेत्र 2.21 हेक्टेयर भूमि को मौके से जाकर गणना की गई है, गणना पत्रक अनुसार 27 नग अन्य प्रजाति के वृक्ष मौके पर मौजूद है। छायाप्रति प्रति संलग्न है।
9	The State Govt. in the Part-II form reported that the proposed forest land is not prone to soil erosion whereas as depicted through satellite imagery the lease is situated at hilly terrain. Therefore, factual details in this regard needs submission along with the mitigation plan/ Soil Erosion Treatment Plan duly approved by the DCF concerned to choke the soil erosion.	प्रस्तावित क्षेत्र चट्टानी क्षेत्र है। चट्टानी क्षेत्र होने के कारण मिट्टी का कटाव होना असम्भव है। इसके उपरांत भी आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के चारो तरफ 7.5 मीटर की चौड़ाई में ग्रीन बेल्ट तैयार किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपचार योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
10	The forest land proposed for diversion is located in Rewa District whereas the land proposed CA has been proposed in the Sagar District. Thus, the land for diversion is situated at an aerial distance of approximately 348 Km away from the land for CA. The State Govt. shall ensure that whether the Para 2.2 (xiii) of Chapter-2 given in the consolidated Handbook of Guidelines issued under the Van (Sanrakshan Evam Samvardha) Rules-2023 has been followed while selecting the land proposed for CA or otherwise.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि वनमण्डल दक्षिणं सागर में प्रदाय की गई है एवं डबल डिग्रेटेड वैकल्पिक वनमण्डल सिंगरौली में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है।
11	The KML files indicating the different components of the projects like safety zone/ Green belt, Infrastructure, OB dump etc shall be submitted along with land use map. The component wise details of the proposed forest land shall also be updated on the PARIVESH portal.	आवेदक संस्थान द्वारा सेफ्टी जोन/ग्रीन बेल्ट 7.5 मीटर प्रस्तावित क्षेत्र के चारों तरफ तैयार किया जाएगा, जिसे के.एम.एल. फाइल में दर्शाया गया है। (मानचित्र की छायाप्रति संलग्न है) जैसी बुनियादी ढांचे संबंधी जानकारी ऑन लाइन परिवेश पोर्टल में दर्ज कर दी गई है।
12	DSS analysis revealed that the user agency has uploaded incorrect KML file of the Non-forest land proposed for CA because the part of the proposed CA land is partly falling in forest compartment. Further, a transmission line is	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित गैर वनभूमि की संशोधित के.एम.एल. फाइल ऑनलाइन परिवेश पोर्टल में अपलोड़ कर दी गई है।

	crossing the CA land at PF-603	
13	DSS analysis revealed that the an area of 0.0136 ha forest land proposed for Approach Access has been found broken as depicted through historical data available on the Google imagery. This needs clarification.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित वनभूमि में प्रस्ताव में संशोधित कर के.एम.एल. फाइल ऑनलाइन परिवेश पोर्टल में अपलोड़ कर दी गई है।
14	The APCCF & Nodal officer, Govt. of Madhya Pradesh in their covering letter reported that the instant proposal is for establishment of crushing plant instead of mining. This needs clarification. The State shall also ensure that the forest land cannot be diverted for any non-site specific activities.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि प्रमाणित किया जाता है प्रभावित वनभूमि में खनन का कार्य किया जावेगा, अन्य कोई गतिविधि नहीं की जावेगी, जिसके पालन हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्व है।
15	The State Govt. recommended the proposal for diversion of 2.21 ha forest land whereas the user agency has submitted component wise break-up details of 2.2236 ha forest land. Further, the Letter of intent (LoI) issued by the Mineral Resource Department, Govt. of Madhya Pradesh reveals that the project involves 3.4 ha area out of which 2.80 ha is forest land. The complete proposal along with convincing justification in this regard needs submission. The corresponding area details shall also be updated on PARIVESH along with maps, KML files etc.	प्रकरण में प्रस्तावित वनभूमि 3.4 हेक्टेयर का आवेदन किया गया था, जिसमें जॉच उपरांत 2.80 वनभूमि पाई गई। दिनांक 31.07.2022 को पुनः प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण करने पर मौके पर उपलब्ध भूमि 2.21 हेक्टेयर ही पाई गई है, जिसकां मौका पंचनामा, के.एम.एल. फाइल मौका पंचनामा की प्रति संलग्न है।

अतः प्रतिवेदन श्रीमान जी की ओर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुशंसा सहित सादर सम्प्रेषित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(लोकेश निरापुरे भा.व.से.)
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

पृष्ठा.क्र./मा.चि./4405 रीवा, दिनांक/15.05.2025

प्रतिलिपि :— मुख्य वन संरक्षक रीवां, वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)